कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म.प्र.)

पृष्ठां. कमांक क्यू/परिपत्र/2020 रीवा, दिनांक 13/04/2020

माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर की ओर **उषा उइके, किशोर न्याय बोर्ड, रीवा** का निरीक्षण जांच रिपोर्ट सम्बन्धी पत्र दिनांक 13.04.2020 मूलतः संलग्न अग्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

न्यायालय–उषा उइके प्रमुख मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड
जिला–रीवा, म.प्र.

आवक क0– /2020 रीवा, दिनांक–13.04.2020

प्रति,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय
जिला रीवा म0प्र0

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ली गयी स्वतः संज्ञान याचिका कमांक 4/2020 दिनांक 03.04.2020 कोरोना कोविड–19 के सन्दर्भ में पारित दिशा निर्देशों का अनुपालन हेतु।

–––––000–––––

उपरोक्त सन्दर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में बाल सम्प्रेक्षण गृह रीवा का निरीक्षण आज दिनांक 13.04.2020 को मेरे द्वारा किया गया। वर्तमान में **संस्था में कुल–44 बालक न्यायिक संरक्षण में हैं, जिसमें से रीवा जिले के 07, जिला सतना के 11, जिला उमरिया के 02, जिला सीधी के 06, जिला शहडोल के 07, जिला अनूपपुर के 05, जिला सिंगरौली के 06, बच्चे** न्यायिक संरक्षण में सम्प्रेक्षण गृह रीवा में हैं।

माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला रीवा से संबंधित बच्चों के माता पिता से फोन पर अधीक्षक सम्प्रेक्षण गृह रीवा द्वारा संपर्क किया गया एवं बच्चों के संरक्षक के द्वारा कुल 10 बालकों के संरक्षकों के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया जिनमें सभी बालकों को जमानत का लाभ दिया गया है। एवं सभी को उनके संरक्षकों के सुपुर्द किया गया है। केवल एक बालक के संरक्षक लॉकडॉउन की वजह से उपस्थित न होने के कारण उक्त बालक को परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित कर सुरक्षित उसके निवास स्थान तक पहुंचाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है एवं यह भी अवगत कराया गया कि किशोर को सुरक्षित पहुंचाये जाने केउपरांत पीठासीन अधिकारी को फोन पर इसकी सूचना तुरंत दें। वर्तमान में सम्प्रेक्षण गृह में रीवा के केवल 06 बच्चे न्यायिक संरक्षण में हैं जो जघन्य अपराध के प्रकरण से संबंधित हैं एवं इनकी तरफ से कोई जमानत आवेदन पेश नहीं किया गया है।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि संस्था में रह रहे प्रत्येक बच्चे के पास मास्क है, एवं हैण्डवाश एवं सेनेटाइजर की पृथक व्यवस्था है।

Scanned by CamScanner

नहाने के लिए सभी बच्चों को साबुन एवं तौलिया दिये गये हैं। संस्था में प्रतिदिन झाड़ू–पोछा एवं साफ–सफाई की जा रही है। बच्चों के 04 शयन कक्ष हैं, जिसमें एक बिस्तर पर दो बच्चे सोते हैं। कमरों में उचित साफ–सफाई पाई गयी है। संस्था के रसोंई घर में विशेष साफ–सफाई किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। संस्था के भण्डार गृह में पर्याप्त अनाज राशन एवं सब्जियां आदि रखी गयी हैं। बालकों से पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई भी परेशानी न होना बताया गया है। सभी बच्चे स्वस्थ पाये गये है।

वर्तमान में कोरोना कोविड–19 की महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए संस्था में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को पूर्णत निषेधित किया गया है, एवं संस्था के कर्मचारियों में से रात्रि में एक कर्मचारी की ड्यूटी निर्धारित की गयी है एवं दो गार्ड उपलब्ध रहते हैं। बालकों के परिवारजनों को भी बच्चों से मिलने से रोका गया है। मिलने के अलावा बच्चों की उनके माता–पिता से फोन पर बात करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। संस्था में नगर पालिका रीवा द्वारा सम्पूर्ण बाल सम्प्रेक्षण गृह रीवा को सेनेटाइज किया गया है एवं दिनांक 23.03.2020 को जिला चिकित्सालय से डॉ0 ज्ञानेश मिश्रा की टीम के द्वारा संस्था में रह रहे सभी बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है एवं आयुर्वेद महाविद्यालय के द्वारा सम्प्रेक्षण गृह में विशेष स्वास्थ्य कैम्प आयोजित किया गया जिसमें सभी बच्चों की जांच कर उन्हें औषधि प्रदान की गयी। सभी बच्चे स्वस्थ हैं। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार संस्था में एक कमरे को पृथक से आइसोलेशन वार्ड के रूप में तैयार किया गया है। कोई भी नये बालक के प्रवेश करने पर अथवा रह रहे बालकों में से किसी बालक में सर्दी खांसी या बुखार के लक्षण दिखाई देने पर उन्हें आइसोलेशन में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

कोविड–19 को लेकर बच्चों में कोई भय अथवा हिंसा अथवा दुर्व्यवहार न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार का कृत्य किये जाने पर किशोर न्याय अधिनियम के आदर्श नियम–66 के अनुसार कर्तव्य की उपेक्षा को गंभीरता से लिया जायेगा तथा ऐसे कर्मचारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा किये जाने हेतु अवगत कराया गया।

संस्था में बच्चों के मनोरंजन के लिए टीवी, कैरम, लूडो, चेस की उचित व्यवस्था है।

माननीय महोदय के आदेशानुसार निरीक्षण जांच रिपोर्ट माननीय की ओर सादर प्रेषित।

13.4.2020

उषा उइके
प्रमुख मजिस्ट्रेट
किशोर न्यायबोर्ड,रीवा म0प्र0

Scanned by CamScanner